

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-11082020-221078
SG-DL-E-11082020-221078

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]	दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2020/ आषाढ़ 6, 1942,	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 57
No. 11]	DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2020/ ASHADHA 6, 1942	[N.C.T.D. 57

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Hkfe o Hkou foHkkx

%fjV 'kk[kk½

vf/k l puk

दिल्ली, 26 जून, 2020

I+Qk- 1@37@2003@Hk-o-Hk-@fjV 'kk[kk 960&1020-माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (7) के अर्थ में एतद द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए, दिल्ली सरकार और/या राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, भूमि एवं भवन विभाग से सम्बंधित सभी मामलों में केन्द्र सरकार और/या जन-अधिकारी, जिनके बचाव की जिम्मेदारी इसके द्वारा ली गयी है, के द्वारा या विरुद्ध किसी मुकदमे/ अपील या अन्य किसी कार्यवाही के लिए श्री यीशु जैन, अधिवक्ता को स्थाई अधिवक्ता के रूप में उनके कार्यकाल को दिनांक 01.07.2020 से एक वर्ष के लिए बढ़ाते हैं ।

श्री यीशु जैन, अधिवक्ता की स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति अधिसूचना संख्या एफ. 5/10/91/मु./1345 दिनांक 26/02/1992 तथा समय-समय पर यथा विनिर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार होगी ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से एवं उनके नाम पर
विनय कुमार, विशेष सचिव (भूमि एवं भवन)

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(WRIT BRANCH)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th June, 2020

No.F.1/37/2003/Misc./L&B/WC/960-1020.—The Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby approved the terms of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel within the meaning of Section 2(7) of the Code of Civil Procedure, 1908 for the High Court of Delhi at New Delhi in relation to any Suit, Appeal, Writ or other proceedings by or against the Government of Delhi through Additional Chief Secretary, Land & Building Department and/or Union of India/Land Acquisition Collectors in relation to the affairs of the National Capital Territory of Delhi (Land & Building Department) and/or Public Officer (s) whose defence has been undertaken by it, for a period of one year with effect from 01.07.2020.

The appointment of Shri Yeeshu Jain, Advocate as Standing Counsel will be subject to terms and conditions as contained in notification N.F.5/10/91-Lit./1345 dated 26/02/1992 and also as may be prescribed from time to time.

This notification shall come into force with immediate effect.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of NCT of Delhi
VINAY KUMAR, Special Secy. (L&B)